न्यायालयः—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर-235103000172012</u>

व्यवहार वाद कं.-4ए/16

संस्थापित दिनांक-17.09.12

1.अब्दुल अलीम पुत्र करीम वक्स आयु 38 वर्ष

1.(A).शाहिस्ता पत्नी अब्दुल अलीम आयु 35 वर्ष

1.(B).फिजा पुत्री अब्दुल अलीम आयु 13 वर्ष

1.(C).फरजान पुत्र अब्दुल अलीम आयु 11 वर्ष

1.(D).फैजान पुत्र अब्दुल अलीम आयु 10 वर्ष

तीनों नाबालिंग सरपरस्त माता शाहिस्ता निवासीगण मोटामल

गली बाहर शहर चंदेरी।

2.मोहम्मद सलीम पुत्र करीम वक्स आयु 35 वर्ष

3.मोहम्मद वसीम पुत्र करीम वक्स आयु 30 वर्ष

सब की जाति मुसलमान पेशा साडी बुनाई

सब निवासीगण मोटामल की गली मोहल्ला बाहर शहर चंदेरी म0प्र0।

....वादीगण

विरुद्ध

1.अब्दुल वकील पुत्र मोहम्मदी

1.(अ).लईक मोहम्मद पुत्र अब्दुल वकील मुसलमान

निवासी बाहर शहर चंदेरी जिला अशोकनगर।

1.(ब).आविदा बानो पत्नी फईम मोहम्मद मुसलमान

निवासी मिियापुरा चंदेरी।

1.(स).खालिदा वानो पत्नी नसीम मोहम्मद मुसलमान

निवासी चौखंडी मोहल्ला चंदेरी।

1.(द).शहजादी विधवा अब्दुल वकील मुसलमान

निवासी बाहर शहर चंदेरी, जिला अशोकनगर।

2.शरीफ मोहम्मद पुत्र अब्दुल वकील

3.जहीर अहमद पुत्र अब्दुल वकील
सब की जाति मुसलमान पेशा साडी बुनाई
सब निवासीगण—मोटामल की गली मोहल्ला बाहर शहर चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0।

....प्रतिवादीगण

4.मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद चंदेरी।

..... फोरमल प्रतिवादी

वादी द्वारा श्री मिर्जा अधिवक्ता।

प्रतिवादी कमांक 1 मृत। विधिक उत्तराधिकारी पूर्व से एकपक्षीय।

प्रतिवादी क्रमांक २ व ३ द्वारा श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक ४ पूर्व से एकपक्षीय।

-// निर्णय//-(आज दिनांक 21.04.2017 को घोषित)

- 01. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध करबा चंदेरी वार्ड क्रमांक 17 मोटामल की गली स्थित मकान नंबर 02 के अतिथिगृह के 1/3 भाग की स्वत्व घोषणा (जिसे आगे विवादित सम्पत्ति से संबोधित किया जाएगा), अतिथिगृह में लगे लूम को हटाये जाने, पहुंच मार्ग को खुलवाये जाने एवं मेहमानों को ठहराने के लिये उसे फिर से खुलवाये जाने बावत् प्रस्तुत किया है।
- 02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- 03. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार उक्त विवादित सम्पत्ति मोटामल की सम्पत्ति है जिसे मोटामल परिवार के वंशज अपने अतिथियों को ठहराने के लिये सम्मिलित रूप से करते थे। वादीगण के अनुसार

उक्त विवादित सम्पत्ति पर उनके पिता का एक तिहाई हिस्सा है, किन्तु मोटामल की मृत्यु हो जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण की नीयत में खोट आ गई और उन्होंने दिनांक 04.08.2012 को अतिथिगृह की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया और उसमें लूम लगाकर उसका उपयोग मोटामल के परिवार के वंशजों को करने से बंचित कर दिया। इस कारणवश उन्हें दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण ने इस आशय की डिक्री चाही है कि उन्हें उक्त विवादित सम्पत्ति के एक तिहाई भाग का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जावे तथा विवादित सम्पत्ति में लगे लूम को हटवाकर रास्ता खुलवाया जावे और अतिथिगृह को पुनः उपयोग के लिये खुलवाया जावे।

- 04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त विवादित सम्पत्ति से करीमवख्श का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण के अनुसार भवन कमांक 02 के कुछ भाग पर करीमवख्श ने अवैध नामांतरण करा लिया है जिसके विरुद्ध अपील कलेक्टर अशोकनगर के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी ने मोहम्मदी के दो अन्य पुत्रों के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।
- 05. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :--

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादीगण का पिता कस्बा चंदेरी के वार्ड	''नहीं''
	कमांक—17 की मोटामल की गली में से मकान नं. 2	
	का दावा वाले मेहमानखाना (अतिथि गृह) (1/3)	

	भाग के स्वत्वधारी हैं ?	
02.	क्या वादग्रस्त मेहमानखाना (अतिथि गृह) में	''नहीं''
	प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी अधिकार के लगा लिए	
	गए लूम (खटके) हटवाये जाने के अधिकारी हैं ?	
03.	क्या वादीगण मोटामल परिवार के वंशजों को अपने	"नहीं"
	मेहमानों को ठहराने के लिये वादग्रस्त अतिथि गृह	
	पुनः खुलवाये जाने के अधिकारी हैं ?	
04.	क्या वादी ने दावे में आवश्यक पक्षकारों का संयोजन	"नहीं"
	किया है ?	
05.	क्या वादी के दावे में पक्षकारों के असंयोजन का दोष	"हां"
	है ?	
06.	सहायता एवं व्यय ?	''निर्णयानुसार
		वादीगण का वाद
		अस्वीकार कर
		सव्यय निरस्त
		किया गया।"

<u>—ः सकारण निष्कर्ष ::-</u>

- 06. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 अब्दुल अलीम, वा.सा. 02 मोहम्मद सलीम, वा.सा. 03 जयिसंह की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही प्र0पी0 01 लगायत प्र0पी0 07 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 शरीफ अहमद, प्र0सा0 02 अब्दुल हकीम की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
- 07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्विलत है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 05 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 06 का निराकरण पृथक से किया जा रहा है।

-:: <u>वादप्रश्न कं. 01 लगायत 05 ::-</u>

- वा.सा. 01 अब्दुल अलीम ने अपने कथन में बताया है कि उक्त 08. विवादित संपत्ति उसके पिता करीमबक्स के स्वत्व एवं कब्जे की है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त अतिथिगृह का उपयोग मेहमानों के लिए होता था और उसमें भी उसका हिस्सा है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादीगण की नीयत खराब हो गई है और उन्होंने अतिथिगृह में लूम लगा लिया है तथा उसका रास्ता बंद कर दिया है। वा.सा. 02 मोहम्मद सलीम ने भी अपने मुख्य परीक्षण में वा.सा. 01 के अनुसार ही बातें बताई हैं। वा.सा. 01 ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में अपने भाइयों और बहनों को पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने वादपत्र के साथ मेहमान खाने का कोई नक्शा पेश नहीं किया है तथा उसके अनुसार उसने मेहमानखाना पुश्तैनी होने के संबंध में केवल प्रपी 06 का निर्णय पेश किया है और साथ ही उक्त साक्षी के अनुसार उसने भवन क्रमांक 02 शामिलाती होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वा.सा. 02 ने प्रपी 08 का जो नक्शा प्रस्तुत किया है उसके संबंध में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रपी 08 का नक्शा नगरपालिका द्वारा प्रमाणित नहीं है तथा नक्शा उसने बनवाया है। वा.सा. 03 जयसिंह के अनुसार उसने उक्त अतिथिगृह देखा है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादी ने अतिथिगृह में साडी बुनने के खटके लगा लिए हैं और वादी को बेदखल कर दिया है। उक्त साक्षी के अनुसार वह कुंअरपुर रहता है ।
- 09. प्र.सा. 01 शरीफ अहमद ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित संपत्ति के 1/2 भाग के स्वामी उसके पिता अब्दुल वकील तथा 1/2 भाग के अलाबक्स स्वामी थे। उक्त साक्षी के अनुसार अलाबक्स की मृत्यु हो गई है और अब उसके 1/2 भाग के वारिस उनके पुत्र सगीर एवं अनीस हैं तथा उक्त संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित संपत्ति से करीमबक्स एवं उनके वारिसानों का कोई संबंध नहीं है, किंतु वादीगण ने छलपूर्वक उस पर अपना नाम करा लिया है। उक्त साक्षी के अनुसार

करीमबक्स ने भवन क्रमांक 2 का कुछ भाग उसके पिता से रहने के लिए लिया था, किंतु वह अब अवैध रूप से रह रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। उक्त साक्षी के अनुसार वादग्रस्त भवन में मेहमानखाना (अतिथि गृह) नहीं है।

- 10. इस प्रकार वादीगण के अनुसार वह विवादित संपत्ति के 1/3 भाग के स्वत्वाधिकारी हैं। वहीं प्रतिवादी के अनुसार वादी का उक्त विवादित संपत्ति में कोई हित नहीं है। वा.सा. 03 की साक्ष्य मात्र वादी को व्यक्तिगत रूप से जानने के आधार पर दी जाना प्रकट हो रही है। उक्त साक्षी की साक्ष्य के आधार पर स्वत्व निर्धारण करना समीचीन प्रतीत नहीं होता। प्रपी 01 का दस्तावेज नगरपालिका द्वारा जारी विज्ञप्ति, प्रपी 02 नामांतरण संबंधी पत्र है जिसमें करीमबक्स का नामांतरण विवादित संपत्ति पर किया गया है। प्रपी 03 लगायत प्रपी 05 के दस्तावेज नामांतरण संबंधी आवेदन एवं आपत्ति हैं तथा प्रपी 06 निर्णय है जिसमें वादीगण या प्रतिवादी पक्षकार नहीं हैं। प्रपी 08 का दस्तावेज नक्शा है। प्रपी 09 भवन निर्माण स्वीकृति पत्र है तथा प्रपी 10 शपथ पत्र है एवं प्रपी 11 अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा पारित आदेश जिसमें स्वत्व संबंधी विवाद होने के कारण अपील को निरस्त किया गया है।
- 11. वादीगण ने उपरोक्त दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। उपरोक्त सभी दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रपी 02 के दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य कोई स्वत्व संबंधी दस्तावेज वादीगण ने प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण ने जो अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वे या तो नगरपालिका की विज्ञप्ति हैं या शपथ पत्र हैं या नामांतरण बाबत आवेदन पत्र एवं आपित्त हैं। वादीगण ने जो नजरिया नक्शा प्रपी 08 प्रस्तुत किया है उसे नजरिया नक्शा बनाने वाले व्यक्ति से न्यायालय में प्रमाणित नहीं कराया है। मात्र नक्शा अभिलेख पर प्रस्तुत कर देने के आधार पर उसे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। वादीगण ने अपने वादपत्र के साथ कोई नक्शा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके। उल्लेखनीय है कि वादीगण ने जो वाद प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने स्वत्व घोषणा चाही है। वादीगण के अनुसार उनके पिता का उक्त विवादित संपत्ति पर स्वत्व है, किंतु वादीगण ने अपने अन्य भाई एवं बहनों को

प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। वादीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके द्वारा अन्य भाई एवं बहनों को प्रकरण में पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया है। उक्त विवादित संपत्ति वादीगण के अनुसार उनके पिता के स्वत्व की संपत्ति है और इस प्रकार मुस्लिम विधि के अनुसार उनके पिता के सभी संतानों का उक्त विवादित संपत्ति में हित निहित है। इस प्रकार वादीगण के सभी भाई—बहन प्रकरण के आवश्यक पक्षकार हैं, किंतु वादीगण द्वारा उन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादीगण ने मेहमानखाने (अतिथि गृह) के 1/3 भाग के संबंध में स्वत्व चाहा है, किंतु वादीगण ने स्पष्ट नहीं किया है कि उनका मेहमानखाने के 1/3 भाग पर किस आधार पर स्वत्व है।

वादीगण ने जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है। मात्र 12. उसके आधार पर यह निष्कर्ष दे देना कि वादीगण मेहमानखाने के 1/3 भाग के स्वत्वाधिकारी हैं, समीचीन प्रती नहीं होता। उल्लेखनीय है कि वादीगण ने अपने वादपत्र के साथ कोई नक्शा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि वस्तुस्थिति स्पष्ट होती हो। यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण ने प्रकरण में न तो वंश वृक्ष विस्तृत रूप से अपने वादपत्र में उल्लेखित किया है और न ही आवश्यक पक्षकारों को प्रकरण में पक्षकार बनाया है। वादीगण ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वे उक्त मेहमानखाने के 1/3 भाग के स्वत्वाधिकारी किस आधार पर हैं। वादीगण ने मात्र यह अभिवचित किया है कि उनके पिता उक्त विवादित संपत्ति के 1/3 भाग के स्वत्वाधिकारी थे, किंतु वे किस प्रकार 1/3 भाग के स्वत्वाधिकारी हुए, इसका कोई उल्लेख वादीगण ने अपने वादपत्र एवं साक्ष्य में नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि वादीगण ने उक्त विवादित संपत्ति में उनके पिता के स्वत्व होने के संबंध में प्रपी 02 के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। मात्र प्रपी 02 के आधार पर उक्त विवादित संपत्ति में वादीगण के स्वत्व निर्धारण कर देना संभव नहीं है। यह आवश्यक था कि वादीगण उक्त विवादित संपत्ति से संबंधित नगरपालिका के अन्य आवश्यक दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत करते जिससे कि प्रकरण में उक्त विवादित संपत्ति के संबंध में वादीगण के स्वत्व का निर्धारण हो सकता।

13. उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वे उक्त विवादित संपत्ति के 1/3 भाग के स्वत्वाधिकारी हैं। वादीगण यह प्रमाणित करने में भी असफल रहे हैं कि वे उक्त विवादित अतिथिगृह में लगाए गए लूम को हटवाए जाने एवं अतिथिगृह को खुलवाए जाने के अधिकारी हैं। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वादीगण ने आवश्यक पक्षकारों का संयोजन नहीं किया है और इस प्रकार प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। परिणामतः वाद प्रश्न कमांक 01 लगायत 04 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं एवं वाद प्रश्न कमांक 05 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

-:: <u>वादप्रश्न कं.-06</u> ::-

- 14. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणामतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।
- 15. वाद का संपूर्ण व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर (ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर